पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 372/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है:-

01.थाना-जीयनपुरः- धारदार हथियार से हमला करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.12.2024 को वादी मो0 वाजिद पुत्र मो0 कुरैश निवासी अशरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी के पडोसी फाजिल उर्फ आसिफ पुत्र हारून द्वारा वादी के घर आकर वादी के छोटे भाई मो0 आबिद को गाली देने लगे तो मै अपने भाई को समझा बुझाकर घर में बुला लिया फिर कुछ समय बाद पुनः फाजिल उर्फ आसिफ अपने भाई हारिश व अपने पिता हरून पुत्र स्व रऊफ निवासी अशरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ हमारे घर पर आ गये और हमारे भाई आबिद को मारने पीटने लगे और उसके सीने में धारदार हथियार से वार कर दिये जिससे वह लहुलुहान हो गया जब मैं तथा मेरी माँ मुस्तरी उसे बचाने गई तो वह लोग हम लोगों को भी मारने पीटने लगे हम लोगों के चिल्लाने पर आस-पास के लोग आ गये तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 542/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/109BNS बनाम 1. फाजिल उर्फ आसिफ पुत्र हारून निवासी ग्राम अशरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 2. हारिश पुत्र हारून निवासी ग्राम अशरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 3. हारून पुत्र स्व रऊफ निवासी ग्राम अशरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-*

आज दिनांक 08.12.2024 को उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित तीनों अभियुक्तों 1. फाजिल उर्फ आसिफ पुत्र हारून निवासी ग्राम अशरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 2. हारिश पुत्र हारून निवासी ग्राम अशरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 3. हारून पुत्र स्व रऊफ निवासी ग्राम अशरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को खालिसपुर सगडी नहर पुलिया के पास से समय करीब 08.55 बजे घटना में प्रयुक्त चाकू व लाठी-डण्डे के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02. थाना-देवगाँव:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 07-12-24 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त मोहन बनवासी पुत्र प्रसाद निवासी सुजातपुर सदोपट्टी भवतर थाना -गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को खुरशु भट्ठे के पास से एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद कारतूस 12 बोर के साथ समय करीब 17:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 428/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 428/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1. अवैध एक अदद तमन्चा 12 बोर बरामद व एक अदद कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त:-

मोहन बनवासी पुत्र प्रसाद निवासी सुजातपुर सदोपट्टी भवतर थाना -गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुल्तान सिंह थाना देवगांव आजमगढ़
2. हे0का0 विनोद यादव थाना देवगांव आजमगढ़
3. का0 संतोष सिंह थाना देवगांव आजमगढ़

03.थाना-पवईः- दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.08.2024 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 10.08.24 को अभियुक्तों 1. अमन पुत्र वीरेन्द्र निवासी सीखापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही 2. राजकुमार पुत्र श्यामलाल निवासी मल्देपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ 3.सूरज पुत्र अज्ञात निवासी मल्देपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा मिलकर वादी की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 283/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में बाद पीडिता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त अमन कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी सीखापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के विरुद्ध धारा 65 बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 08.12.2024 को उ0नि0 रवीन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अमन कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी सीखापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही उम्र करीब 19 वर्ष को मिल्कीपुर अण्डरपास से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

04.थाना-जीयनपुरः- पुलिस टीम द्वारा 09 वर्षीय गुमशुदा बच्ची को किया गया बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.12.2024 को वादी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की 09 वर्षीय पुत्री जो मन्द बुद्धि की है, दिनांक 02.12.24 को समय करीब 02.00 बजे घर के सामने खेल रही थी खेलते-खेलते कहीं चली गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 535/2024 धारा 137(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 08.12.2024 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गुमशुदा बच्ची को वन स्टाप सेन्टर मऊ से बरामद किया गया। जिसे नियमानुसार उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।